क्र.सं.		एमडीबीटीएल वर्शन 1.0/11-14

फार्म-3

गैर आधार आधारित एलपीजी सब्सिडी अंतरण हेतु आदेश

(बैंक को प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

बैंक का नाम_____

शाखा का नाम_____

विषय : एनईएफटी/एनएसीएच के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बैंक खाता में मेरे एलपीजी आईडी को अद्यतन करने हेतु प्राधिकरण ।

मैं, एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि मेरे पास केवल एक ही सब्सिडी प्राप्त एलपीजी कनेक्शन है । मैं इसकी भी पुष्टि करता हूँ कि मेरे पास आधार नंबर नहीं है और मेरे बैंक खाता में एनईएफटी/एनएसीएच के माध्यम से एलपीजी स्थाई अग्रिम/रीफिल सब्सिडी के लिए मुझे देय राशि के भुगतान के लिए अपनी इच्छा की पुष्टि करता हूँ । मेरे बैंक खाते के साथ सीडिंग के लिए मेरा 17 अंकों का एलपीजी आईडी नीचे दिया है :

भाग ए : एलपीजी कनेक्शन विवरण (कैश मेमों या डीजीसीसी या वितरक ओएनसी से प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

एलपीजी उपभोक्ता																					
17 अंकों का एलपीजी आईडी* (x में कुछ न भरें)		X					X					X					X				
एलपीजी कनेक्शन बुक की तरह ही नाम लिखें (बड़े अक्षरों में)																					
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर शिप का नाम																					
बीपीसीएल/एचपीसीएल/ आईओसीएल के उपभोक्ता																					

* आपके रिफिल कैश मेमों या वेबसाइट www.MyLPG.in उपलब्ध है ।

भाग बी : मेरे बैंक खाता का विवरण :

बैंक खाते में जैसे ही वैसे ही नाम (बड़े अक्षरों में)	पहला नाम					बीच का नाम						अंतिम नाम				
बैंक का नाम																
शाखा का नाम																
आईएफएससी कोड *																
बैंक का खाता नंबर																
मोबाइल नंबर																

* आपके चेक बुक या आपके शाखा प्रबंधक के साथ उपलब्ध ।

नोट : भाग ए एवं बी के सभी कालम भरना अनिवार्य है ।

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि :

- **ऊपर दिए गए तथ्य हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है ।**
- बैंक में किसी परिवर्तन से मैं सूचित करूंगा ।
- मैं समझता हूँ कि हमारा बैंक खाता विवरण (नाम, खाता, पता/आधार नंबर) मेरे उपर्युक्त बैंक खाता में एलपीजी सब्सिडी अंतरण के लिए बीपीसीएल/एचपीसीएल/आईओसीएल के साथ शेयर किया जाएगा ।
- आगे मैं पुष्टि करता हूँ कि आज की तिथ को हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, जैसे ही मुझे आधार कार्ड मिलेगा मैं उसे अपने बैंक खाते और एलपीजी उपभोक्ता नंबर से लिंक कर दूंगा ।
- मैंने इस आवेदन के साथ मेरे एलपीजी उपभोक्ता होने के प्रमाण के रूप में वितरक ओएमसी से प्राप्त कैश मेमों/ ब्लू बुक/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया है ।
- **मैं यह भी समझता हूँ कि कोई भी गलत घोषणा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है ।**

स्थान :_____ दिनांक :_____ उपभोक्ता के हस्ताक्षर _____

----✂----

पावती स्लिप

द्वारा गैर आधार कैश अंतरण आदेश फार्म 3 प्राप्त किया (नाम) _____, वितरक/ओएमसी से प्राप्त कैश मेमों, डीजीसीसी बुक/प्रमाणपत्र की प्रति के साथ खाता नंबर _____

दिनांक :_____ बैंक का मुंहर एवं हस्ताक्षर_____